सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 27/2019 दायर दिनाँक 17.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1— रमेश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति— ब्राहम्ण, निवासी— केराप, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1— ओम प्रकाश पुत्र श्री धनराज 2— लादु उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 3— अनुराधा पुत्री श्री काशीप्रसाद 4— नीलम पुत्री श्री काशीप्रसाद 5— महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 6— उर्मीला पुत्री श्री सत्यनारायण 7— अमृता पुत्री श्री सत्यनारायण 8— श्रीमति सुशीला वैवा सत्यनारायण समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9— तहसीलदार महोदय, डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री अजीतसिंह, वादी।
2. श्री विरेन्द्रसिंह वकील प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 28.01.2019

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण स्व0 आईदान जी वारिसान है। जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार से है:—

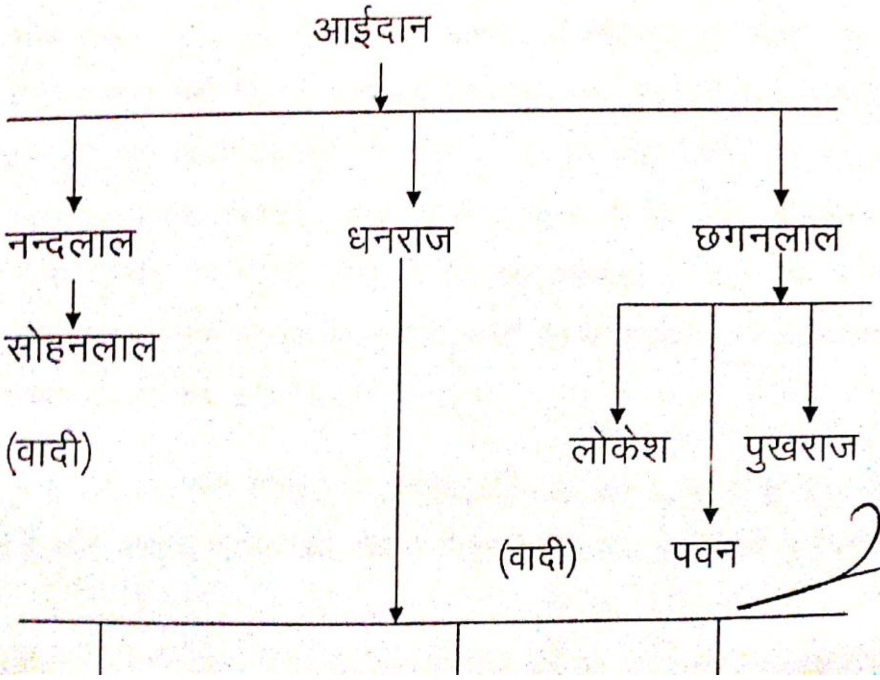

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

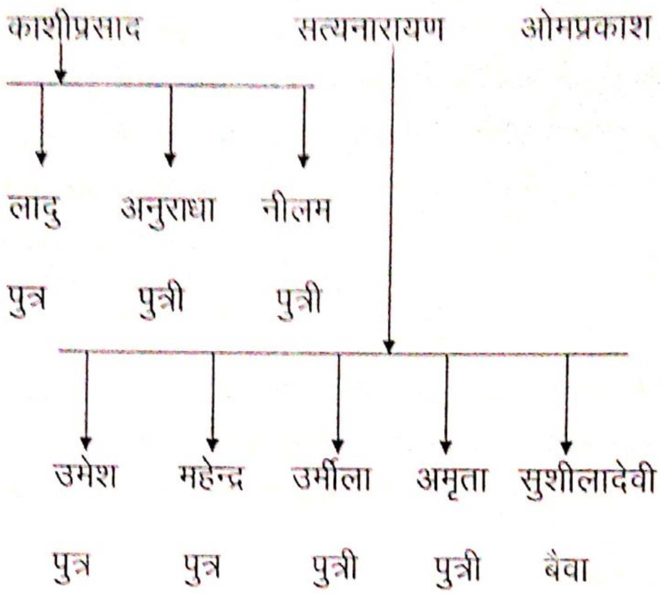

वाके शरहद केराप खसरा नम्बर 165 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा वादी के दादा स्व0 धनराज के नाम खातेदारी की भूमि थी, मगर वादी के पिता का स्वर्गवास होने के कारण वर्तमान समय में उक्त भूमि स्व0 धनराज के नाम ही खातेदारी में दर्ज है। खतौनी की प्रमाणित प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है।

वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि अकेले वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 के नाम स्व0 सत्यनारायण के बंट में रखी , वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि वादी पक्ष के कब्जे काश्त व खातेदारी में ही है। प्रतिवादी ओमप्रकाश ने एक वाद सं0 381/18 बअनुवान ओमप्रकाश बनाम सोहनलाल वगैराह प्रस्तुत किया, उक्त वाद में प्रतिवादी ओमप्रकाश ने वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति की होते हुए भी उक्त वाद में कोई उल्लेख नहीं किया। वादी पक्ष को उक्त वाद की जानकारी होने पर प्रतिवादी ओमप्रकाश (काका) को कहा कि आपने केवल पैत्रिक सम्पति के खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा बाबत ही वाद किया है। जबकि पैत्रिक सम्पति की भूमियों अन्य भी है। तब प्रतिवादी ने कहा कि मैं तो केवल मेरा ही नाम करवाउंगा, इसलिए वादी को उक्त खसरा बाबत घोषणा व बंटवारा का वाद करना लाजमी आया है।

स्व0 धनराज के वारिश प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के बंट की भूमि वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 10 बिस्वा व खसरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नम्बर 160 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा भूमि है। उक्त भूमि का उल्लेख वाद सं0 ..../19 बअनुवान सोहनलाल बनाम ओमप्रकाश के वाद में किया हुआ है। उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी हो चुका है। इसलिए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 के कब्जे काश्त व खातेदारी में ही रहेगी। उपरोक्त अनुसार बंटवारा पक्षकारान के मध्य अरसे दराज पहले हो चुका है, इसलिए भी यह वाद बाबत घोषणा प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार से है:–

क) कि वाके शरहद केराप खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी महेन्द्र, सुशीला देवी के नाम खातेदारी व बंट की घोषित की जावें तथा अन्य प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से पृथक किया जावें।

ख) कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वे भविष्य में वादी पक्ष की भूमि में न स्वयं दखल करें, न ही अपने किसी प्रतिनिधि या एजेन्ट से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अजीतसिंह ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

मुताबिक राजीनामा, पक्षकारान ने निवेदन किया कि वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 165 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी उमेश व प्रतिवादीगण सं0 05 महेन्द्र व प्रतिवादी सं0 08 सुशीलादेवी की खातेदारी में घोषित की जावें तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुला माफिक राजीनामा/अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व–वाद, संख्या 27/2019
दायर दिनाँक 17.01.2019, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
उमेश बनाम् ओम प्रकाश, वगैरा।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है व माफिक राजीनामा दावा डिक्री की इस्तदुआ पक्षकारान् जरिये वकुलाय कर रहे हैं। ऐसी सूरत में माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना, अदालत को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 165 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी उमेश व प्रतिवादीगण सं0 05 महेन्द्र व प्रतिवादी सं0 08 सुशीलादेवी की खातेदारी में घोषित की जाती है तथा शेष खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **28.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना।
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **27/2019** दायर दिनाँक **17.01.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1— उमेश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति— ब्राहम्ण, निवासी— केराप, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1— ओम प्रकाश पुत्र श्री धनराज 2— लादु उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 3— अनुराधा पुत्री श्री काशीप्रसाद 4— नीलम पुत्री श्री काशीप्रसाद 5— महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 6— उर्मीला पुत्री श्री सत्यनारायण 7— अमृता पुत्री श्री सत्यनारायण 8— श्रीमति सुशीला बैवा सत्यनारायण समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9— तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **28.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह वकील वादी व श्री विरेन्द्रसिंह वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 165 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी उमेश व प्रतिवादीगण सं0 05 महेन्द्र व प्रतिवादी सं0 08 सुशीलादेवी की खातेदारी में घोषित की जाती है तथा शेष खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.......... ....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–27–2019/रीडर/2019/ 130 दिनांक 4/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1– उमेश पुत्र श्री सत्यनारायण 1. जाति– ब्राहम्ण, निवासी– केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1–ओम प्रकाश पुत्र श्री धनराज 2–लादु उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 3–अनुराधा पुत्री श्री काशीप्रसाद 4–नीलम पुत्री श्री काशीप्रसाद 5–महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 6–उर्मीला पुत्री श्री सत्यनारायण 7--अमृता पुत्री श्री सत्यनारायण 8–श्रीमति सुशीला बैवा सत्यनारायण समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9–तहसीलदार डीडवाना।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner